परिपत्र सं0 / जी0एस0टी0 ऑडिट / 2023–24 / कम्प्यू0परि0सं0 / 67/2324005 / वाणिज्य कर
कार्यालयः–आयुक्त, राज्य कर,उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 ऑडिट अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः:16 मई, 2023

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड–1,
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक),
उपायुक्त /सहायक आयुक्त/
राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 के टैक्स ऑडिट वादों के निस्तारण में AI based notice में पाये गये तथ्यों के समावेश के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत हो कि वर्ष 2017–18 हेतु टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। दिनांक 27.03.2023 से वर्ष 2017–18 के रिर्टनों की स्कूटनी के लिये **AI based notice** की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण 15 Parameters पर data analysis के पश्चात पायी गयी विसंगतियों हेतु नोटिस जारी की जा रही है। **AI based notice** के अंतर्गत चयनित 15 parameters ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित वादों के निस्तारण हेतु भी महत्वपूर्ण है। ऑडिट वादों के निस्तारण के समय उपरोक्त पैरामीटर्स के समावेश के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते है–

(क) टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित ऐसे वाद जहाँ अभी तक नोटिस नहीं जारी की गयी है वहाँ **AI based notice** की ऐसी आपत्तियाँ जिनका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में नही है, को समावेषित (include) करते हुये कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी की जाये।

(ख) टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित ऐसे वाद जहाँ नोटिस जारी की गयी है परन्तु आदेश पारित नहीं किया गया है वहाँ **AI based notice** की ऐसी आपत्तियाँ जिनका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में नही है, के सम्बन्ध में boweb portal पर आलोच्य adjudication process हेतु उपलब्ध Communication के माध्यम से करदाता को अवगत कराया जाये तथा इन अतिरिक्त बिन्दुओं पर करदाता का पक्ष सुनने के पश्चात आदेश पारित किया जाये।

(ग) टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित ऐसे वाद जहाँ आदेश पारित कर दिया गया है वहाँ **AI based notice** की ऐसी आपत्तियाँ जिनका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में नही है, के सम्बन्ध में यह निर्धारित कर लिया जाये कि AI based notice की आपत्तियाँ जिनका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है वह किन कर अवधियों (tax periods) से सम्बन्धित है। आलोच्य कर अवधियों के विषय में विनिश्चय हो जाने के पश्चात केवल सम्बन्धित कर अवधियों हेतु ही पृथक–पृथक नोटिस जारी की जाये तथा करदाता का पक्ष सुनने के पश्चात आदेश पारित किया जाये।

(घ) वर्ष 2017–18 से अग्रतर वर्षो में आवश्यकता होने पर उपरोक्त वर्णित प्रकिया का पालन किया जाये।22

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इनके कियान्वयन में किसी कठिनाई की दशा में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाये।

16/5/23
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

D.C.(IT)
17/05/2023